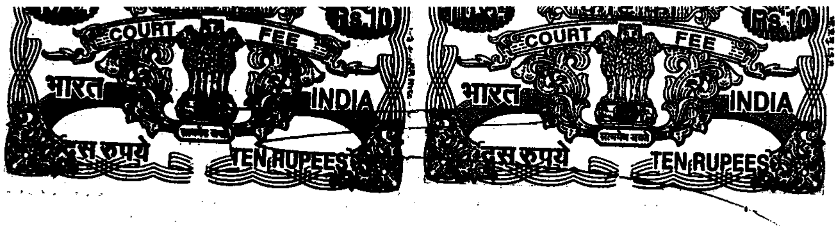

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल (म.प्र.)

(10)

पुनरीक्षण/निगरानी याचिका क्रं- ..../17

संपत सिंह आ0 स्व. श्री प्रताप सिंह P 1010-PBR/17
जाति राजपूत आयु लगभग 75 वर्ष,
निवासी-छिपन्या पिपरिया तहसील आमला
जिला बैतूल म.प्र. --- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा
तहसीलदार आमला जिला बैतूल म.प्र. --- प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है:-

यह कि तहसीलदार आमला जिला बैतूल द्वारा आदेश दिनांक 16.03.2017 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर ठोस तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी न्याय हेतु प्रस्तुत है :-

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1010–पीबीआर/2017 **जिला बैतूल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.4.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से फसल काटने की अनुमति बावत् प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदक को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया था । आवेदक की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सके जिससे कि आवेदक को फसल काटने की अनुमति दी जा सके। अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है। साथ ही आवेदक को अनिवार्य रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है जिसमें भी कोई अनुचित कार्यवाही परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	